न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ. गौरव सैनी

अपील संख्या 29/23 तारीख रज्जू– 10.11.22

शिवरतन अग्रवाल पुत्र सुरेशचन्द्र गुप्ता जाति महाजन निवासी जयपुर रोड गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

–रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक :- 19/03/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 06/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31/10/2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मिर्जापुर के आराजी ख0नं0 138 रकबा 0.1 है0 किस्म गै0मु0चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पक्की दुकान बनाने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गयाहै।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अदालत मातहत द्वारा अलोच्य निर्णय में अपीलार्थी को वाद आरजीयात भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दुकान बनाने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रतिपादित किया है। चुकि प्रकरण में गुणागुण पर विवेचना करना न्यायाहित में जरूरी है। जिसके लिए अपील का अन्तिम निस्तारण करने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निर्णय किया जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिती में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई विलम्ब को माफ किया जाता है तथा उभय पक्ष की मूल बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने पूरे प्रकरण पर विचार किये बिना धारा 91 का नोटिस प्रार्थी को जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा 11/07/2019 को अपना जबाब अधीनस्थ न्यायलाय में पेश किया जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया कि अपीलार्थी ने खं0नं0 138 के 0.01है0 रकबे पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, साथ ही यह भी अंकित किया कि टूरिज्म डिपार्टमेन्ट राज0 सरकार द्वारा दिनांक

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

2018/19/100449 अपीलार्थी की पत्नि के नाम जारी किया जा चुका है। उक्त सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब होटल पर आने–जाने के

01.01.2018 को सर्टिफिकेट डिफ्रेंस नं0 टूरिज्म 2018/19/100449 अपीलार्थी की पत्नी के नाम जारी किया जा चुका है तथा अपीलार्थी की कोई भी सम्पत्ति खं0नं0 138 में नहीं है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस यह भी अवगत कराया गया कि अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलार्थी को सूचित किये दो भू–अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारी की टीम गठित कर रिपोर्ट अदालत मातहत में पेश की गई जो विधि विरूद्ध है। पटवारी हल्का द्वारा 0.1 है0 में दुकान बनाना अंकित किया है जिसकी कोई लम्बाई–चौड़ाई अंकित नहीं की है न ही यह अंकित किया है कि उक्त तथाकथित दुकान कब बनाई गई है तथा रिपोर्ट बनाते समय पटवारी हल्का द्वारा कोई भी नोटिस अपीलार्थी को नहीं दिया गया है। अपीलर्थी की कोई सम्पत्ति खं0नं0 138 के आसपास भी नही है। जब अपीलार्थी की कोई सम्पत्ति खं0नं0 138 के आसपास नहीं है तो उसके द्वारा खं0नं0 138 में अतिचार करना सम्भव नहीं है।अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना उक्त निर्णय पारित किया गया है, साथ ही विद्वान वकील अपीलार्थी ने मा0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश ,गंगापुर सिटी के प्रकरण सं0 161/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2024 की प्रति प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा गै0मु0चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है यदि अदालत हाजा द्वारा अपीलान्ट की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये थे। जिस पर अपीलार्थी स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुआ, जिस कम में अपीलार्थी के हस्ताक्षर अदालत मातहत की आदेशिका में अंकित है तथा अपीलार्थी ने अदालत मातहत की पत्रावली में अपना जबाब भी प्रस्तुत किया है जो अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया है कि टूरिज्म डिपार्टमेन्ट राज0 सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2018 को सर्टिफिकेट डिफ्रेंस नं0 टूरिज्म 2018/19/100449 अपीलार्थी की पत्नी के नाम जारी किया जा चुका है,लेकिन अपीलार्थी द्वारा उक्त सर्टिफिकेट की कोई प्रमाणित प्रति व छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने मा0 न्यायालय सिविल न्यायाधीश ,गंगापुर सिटी के प्रकरण सं0 161/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.01.2024 की प्रति प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय के अनुसार चैयरमैन नगर परिषद् गंगापुर सिटी व आयुक्त नगर परिषद् गंगापुर सिटी को निर्देशित किया गया है कि वादिया (अपीलार्थी की पत्नी) के वादपत्र के साथ संलगन नजरी नक्शें में दर्शाये गये वादग्रस्त परिसर पर बिना विधिक प्रकिया अपनाए एवं बिना वादिया को समुचित सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार की कोई तोडफोड की कार्यवाही नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें। उक्त विवादित आराजीयात की किस्म गै0मु0चरागाह है तथा मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर व राजस्व विभाग द्वारा चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु समय–समय पर निर्देश प्राप्त होते रहते है। पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

2018/19/100449 अपीलार्थी की पत्नि के नाम जारी किया जा चुका है। उक्त सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब होटल पर आने–जाने के लिए अप्रोच मार्ग उपलब्ध हो।

किया है कि यदि अपीलान्ट की सजा माफ कर दी जाती है तो अन्य व्यक्तियों को भी गै0मु0 चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। मै पेरोकार सरकार की बहस से सहमत हूँ। लेकिन उक्त प्रकरण में अतिचार अपीलार्थी द्वारा किया गया है अथवा उनकी पत्नी द्वारा किया गया है। स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना उचित होगा कि तहसीलदार गंगापुर सिटी उक्त विवादित आरजीयात के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी की पत्नी जिसके द्वारा भी उक्त वाद आरजीयात गै0मु0चरागाह पर अतिचार करना पाया जाता है तो, अतिक्रमि को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

अतः मेरे अभिमत में न्यायहित को देखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 निरस्त करते हुए अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अदालत मातहत उक्त विवादित आरजीयात के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी अथवा अपीलार्थी की पत्नी जिसके द्वारा भी उक्त वाद आरजीयात गै0मु0चरागाह पर अतिचार करना पाया जाता है तो, अतिक्रमी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय 90 दिवस में पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)